



दिनांक: 15.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर**

**नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 158 ग्राम अवैध चरस बरामद**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम नगर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2026 को थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग व गश्त के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मंसूर निवासी साबरी का बाग गली न0 05 बाग बाला मदरसा थाना मण्डी जिला सहारनपुर को मण्डी परिसर में कूड़े के ढेर के पास खण्डहर भवन के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 158 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 226/02026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्तगण अब्दुल्ला उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

अब्दुल्ला पुत्र मंसूर निवासी साबरी का बाग गली न0 05 बाग बाला मदरसा थाना मण्डी जिला सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 158 ग्राम अवैध चरस

**गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0- 226/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0- 71/2026 धारा 60(1) आबकारी अधि0 थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

3. मु0अ0सं0- 40/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0- 290/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री प्रेमपाल सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 आकाश कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 237 यौगेन्द्र कुमार थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2358 तरूण थाना मण्डी जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 15.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 02 शातिर नशा**  
**तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 15 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री देवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.05.2026 को चैकिंग/गश्त के दौरान 02 शातिर नशा तस्कर अभियुक्तगण 1. अरमान पुत्र सजाउल रहमान निवासी 62 फुटा रोड टावर वाली गली हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर 2. शाकिर पुत्र जाकिर निवासी 62 फुटा रोड जोगियो वाली गली न0 9 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर को मशापुरा से नहर पटरी के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरमान से 09 ग्राम व शाकिर से 06 ग्राम स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 201/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त अरमान व शाकिर उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे हैं।

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम नशे का काम करते हैं तथा आज भी हम स्मैक बेचने के लिये जा रहे थे कि पुलिस ने हमें पकड़ लिया यह स्मैक हमने हरियाणा से अज्ञात व्यक्ति से खरीदी।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. अरमान पुत्र सजाउल रहमान नि0 62 फुटा रोड टावर वाली गली हाकमशाह कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर
2. शाकिर पुत्र जाकिर नि0 62 फुटा रोड जोगियो वाली गली न0 9 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

## **बरामदगी का विवरण-**

➤ कुल 15 ग्राम अवैध स्मैक

### **अभियुक्त अरमान का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 282/2023 धारा 380/411/457 भादवि चलानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 323/2023 धारा 380/411 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 330/2023 धारा 380/411/457 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 334/2023 धारा 380/411/457 भादवि चालानी थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0 263/2023 धारा 4/25 आयुध अधि0 चालानी थाना कुतुबुशेर जनपद सहारनपुर ।

### **अभियुक्त शाकिर का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु0अ0सं0 119/2021 धारा 4/25 आयु0 अधि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0 120/2021 धारा 414 भादवि चालानी थाना मण्डी सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 333/2021 धार 8/20 एनडीपीएस एक्ट चालानी थाना मण्डी सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0 334/2021 धारा 4/25 आयुध अधिनियम चालानी थाना मण्डी सहारनपुर ।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

1. उ0नि0 श्री यमुनाप्रसाद थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।
2. है0का0 515 राहुल कुमार थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।
3. का0 2201 विपिन कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2326 हिम्मत सिंह थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर ।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 15.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**  
**थाना नानौता पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 को वादिया द्वारा थाना नानौता पर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त समीर पुत्र याकूब निवासी ग्राम बाबूपुरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत नियत से छेडछाड करने के संबंध में थाना नानौता पर मु0अ0सं0 104/26 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पॉक्सो अधिनियम पंजीकृत किया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 14.05.2026 की रात्रि को थाना नानौता पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त समीर पुत्र याकूब निवासी ग्राम बाबूपुरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को ग्राम बाबूपुरा से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

समीर पुत्र याकूब निवासी ग्राम बाबूपुरा थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

**गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री जसपाल सिंह थाना नानौता, जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 106 विक्रान्तमान थाना नानौता, जनपद सहारनपुर।
3. रि0का0 1724 सचिन थाना नानौता, जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 15.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा**

**तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12.42 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में नशील पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन सवेरा” के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 15.05.2026 को चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त दीपक पुत्र जगराम हाल निवासी विद्या मन्दिर वाली गली कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर मूल निवासी अकबरपुर बांस थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 12.42 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 185/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

दीपक पुत्र जगराम हाल निवासी विद्या मन्दिर वाली गली कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर मूल निवासी अकबरपुर बांस थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 12.42 ग्राम अवैध स्मैक

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री बबलू कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर।
3. है0का0 231 रोहित चौधरी थाना फतेहपुर सहारनपुर।

4. का0 1323 कुलदीप कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर ।



दिनांक: 15.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना नानौता पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नवीन कुमार सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.26 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा 01 वारन्टी अभि० फल्लर उर्फ सतवीर पुत्र टिकू उर्फ टीकाराम निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली (संबंधित मा० ए०सी०जे० (जू०डि०)/जे०एम० देवबन्द जनपद सहारनपुर से जारी वारन्ट वाद सं० 671/22 मु०अ०सं० 167/93 धारा 392 भादवि०) को उसके मस्कन से गिरफ्तार किया गया। वारन्टी अभियुक्त को विधिक कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता:-**

फल्लर उर्फ सतवीर पुत्र टिकू उर्फ टीकाराम निवासी ग्राम हथछोया थाना झिंझाना जनपद शामली।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ०नि० श्री विजेन्द्रपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. उ०नि० श्री निपेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. रि०का० 1738 विक्रम कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
4. रि०का० 1735 राकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।



दिनांक 15.05.2026

## वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

### थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारन्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2026 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चौकिंग व दबिश के दौरान 01 वारन्टी अभियुक्त **अभिषेक पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** (सम्बन्धित वाद सं0- 353/18, मु0अ0स0- 357/17 धारा 325/324/38 भादवि) को ग्राम लच्छीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक पुत्र राकेश कुमार निवासी ग्राम लच्छीपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 श्री रणवीर सिंह थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।
- 2- है0का0 44 शैलेन्द्र कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर।



दिनांक 15.05.2026

-प्रेस नोट-

## **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश** **थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा 01 हत्यारोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, निशानदेही** **पर आलाकत्ल 01 लोहे की रॉड बरामद**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 को थाना कुतुबशेर पर श्री नटवरसिंह सुपुत्र श्री रजुजी चावड़ा निवासी संत श्री आशारामजी बापू आश्रम बापू आश्रम अंबाला रोड़, ज्ञान कलश स्कूल के सामने सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त गौरव कुमार गुप्ता पुत्र श्री झंडुराम निवासी लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर द्वारा संत श्री आशारामजी बापू आश्रम अंबाला रोड़ के संचालक भरत गुप्ता के सिर में लोहे की रोड से जानलेवा हमला कर गम्भीर रूप से घायल कर देने के सम्बन्ध में दाखिल किया जिसके आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0-210/26 धारा 109(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया। इलाज के दौरान घायल भरत गुप्ता की मृत्यु हो जाने के कारण मुकदमा उपरोक्त में धारा 103(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए हत्यारोपी अभियुक्त गौरव कुमार गुप्ता पुत्र श्री झंडुराम निवासी लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर को रेलवे लाईने के किनारे बनी शैंड के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर अम्बाला रोड नहर पटरी के किनारी खडी झाडियो से लोहे की रोड बरामद की गयी गया। अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **पूछताछ का विवरण:-**

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मेरे भरत गुप्ता जो उडिशा का रहने वाला है तथा आशाराम बापु के आश्रम में रहकर संचालक का काम देखता है उस पर मेरे 05 लाख रुपये थे जिन्हे मांगने के लिए मैं दिनांक 13.05.2026 को दोपहर 12.40 बजे के करीब आश्रम में गया था। आश्रम में पहुचने पर भरत गुप्ता दवाई वितरण कक्ष में बैठा था मैं उसके पास करीब दो घण्टे तक बैठा था। पैसे मांगने को लेकर वह मुझपर भडक गया। इसपर मेरा उससे वाद विवाद हो गया मैंने गुस्से में आकर वितरण कक्ष में रखी लोहे की रोड उठाकर उसके सिर पर तीन चार वार किये वह वितरण कक्ष में गिर गया तो मैं घबराकर अपने साथ लेकर गये बैग में वह रोड डालकर आश्रम से निकल गया। आश्रम से निकलकर मैंने अम्बाला रोड पर आते हुए बडी नहर के किनारे लोहे की रोड पकडे जाने के डर से छिपा दी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

गौरव कुमार गुप्ता पुत्र श्री झंडुराम निवासी लेबर कालोनी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

### **बरामदगी का विवरण:-**

➤ 01 लोहे की रॉड (आलाकत्ल)

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. व0उ0नि0 बिजेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 960 सचिन कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
5. का0 1808 आशीष थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
6. का0 1806 योगेश शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक 15.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया 01 गैस सिलेण्डर बरामद**

अवगत कराना है दिनांक 11.05.2026 को वादी श्री जिन्दा हसन पुत्र कल्लन निवासी मौ० हामिद हसन कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त द्वारा वादी की केन्टीन में छत के रास्ते से घुसकर वादी की केन्टीन से एक गैस सिलेण्डर चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु०अ०सं० 167/26 धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस पंजीकृत कराया था

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/थाना प्रभारी सुश्री सिमरन सिंह (I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सागर उर्फ अमन उर्फ गधा पुत्र रधवीर उर्फ रघुवीर निवासी मौ० गढी कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को चिलकाना से नल्हैडा जाने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से चोरी किया गया 01 गैस सिलेण्डर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-**

सागर उर्फ अमन उर्फ गधा पुत्र रधवीर उर्फ रघुवीर निवासी मौ० गढी कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण-**

➤ 01 गैस सेलेण्डर

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-**

1. मु०अ०सं० 47/24 धारा 323/504/506 भादवि थाना चिलकाना सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. म०उ०नि० अर्चना थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. है०का० 859 अमित तोमर थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. का० 2299 कृष्णवीर सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक- 15.05.2026

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एवं वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक/ थाना प्रभारी सुश्री सिमरन सिंह (IPS) के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा 1. आसकदर पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना चिलकाना स0पुर सम्बन्धित वाद सं0- 4191/23 मु0अ0सं0 60/22 धारा 379/411 भादवि व 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति ग्रस्त निवारण अधि0 न्यायालय श्रीमान जे0एम0 द्वितीय स0पुर नियत तिथि 18.05.26 व वारण्टी अफजाल पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम सीकरी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर सम्बन्धित वाद सं0- 6741/24 धारा 498ए/323/504/506 /325 भादवि व 3/4 डीपीएक्ट न्यायालय श्रीमान सिविल जज (जू0डि0) एफटीसी स0पुर नियत तिथि 23.05.26 को ग्राम सीकरी खुर्द थाना, चिलकाना से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

### **गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-**

1. आसकदर पुत्र मुस्तकीम निवासी ग्राम सीकरी खुर्द थाना चिलकाना सहारनपुर।
2. अफजाल पुत्र जुल्फान निवासी ग्राम सीकरी थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

1. म0उ0नि0 सुमन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. रि0आ0 640 दुष्यन्त सिंह थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. रि0आ0 637 कुलदीप थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
4. रि0आ0 624 प्रदीप कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 15.05.2026

-प्रेस नोट-  
“ऑपरेशन सवेरा”



“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश**

**थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा**

**तरकर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस बरामद**

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा परिक्षेत्र सहारनपुर में मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबन्धित दवाओं की तस्करी, बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनों जनपदों में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 15.05.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 01 शातिर नशा तरकर/अभियुक्त साहिल पुत्र उर्फ शालू पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी मोहल्ला कमेला कालोनी, हलवाईयान मस्मजिद के पास थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर को दबनी कब्रिस्तान के पास तालाब के किनारे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 120 ग्राम अवैध चरस नाजायाज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0- 211/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-**

साहिल पुत्र उर्फ शालू पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी मोहल्ला कमेला कालोनी, हलवाईयान मस्मजिद के पास थाना कोतवाली मंडी जिला सहारनपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

➤ 120 ग्राम अवैध चरस

**गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –**

1. मु0अ0सं0 83/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर।

2. मु0अ0सं0 138/24 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0 220/24 धारा 8,20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली मण्डी सहारनपुर ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-**

1. उ0नि0 श्री आकाश कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 बलवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
3. है0का0 31 सुभाष मय थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।
4. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 15.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना चिलकाना पुलिस द्वारा रोटी पर थूक लगाकर दूषित कर जनता को बेचने वाले**

**02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 को रोहित लम्बरदार पुत्र श्री मामराज निवासी ग्राम टोडरपुर भूकडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर व वीडियो क्लिप बाबत अल फातमा होटल कस्बा चिलकाना सरसावा रोड पर अभियुक्तगण 1.तंजीम पुत्र जिन्दा हसन निवासी अम्बहेटा थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. मोहम्मद महबूब पुत्र मोहम्मद मगलू निवासी उदयपुर थाना आबादपुर कटिहार बिहार हाल निवासी अल फातमा होटल कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर द्वारा रोटी बनाते समय थूक लगाकर तन्दूर में सैकने व दूषित कर जनता को बेचने के सम्बन्ध में थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 171/26 धारा 271, 272, 274, 275 बीएनएस पंजीकृत कराया गया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेशित किया गया, इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में सहायक पुलिस अधीक्षक / थाना प्रभारी सुश्री सिमरन सिंह ( I.P.S.) के कुशल नेतृत्व में थाना चिलकाना पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1.तंजीम पुत्र जिन्दा हसन निवासी अम्बहेटा थाना नकुड जिला सहारनपुर 2. मोहम्मद महबूब पुत्र मोहम्मद मगलू निवासी उदयपुर थाना आबादपुर कटिहार बिहार हाल निवासी अल फातमा होटल कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को कस्बा चिलकाना सरसावा रोड से गिरफ्तार किया गया गिरफ्तार। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. तंजीम पुत्र जिन्दा हसन निवासी अम्बहेटा थाना नकुड जिला सहारनपुर।
2. मोहम्मद महबूब पुत्र मोहम्मद मगलू निवासी उदयपुर थाना आबादपुर कटिहार बिहार हाल निवासी अल फातमा होटल कस्बा व थाना चिलकाना जिला सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1. उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
2. रि0आ0 636 गुरेन्द्र कुमार कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
3. रि0आ0 603 अमन कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।



दिनांक- 15.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना सरसावा पुलिस द्वारा नाबालिग से छेडछाड करने वाले 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार**

अवगत कराना है कि दिनांक 14.05.2026 को वादिया की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त 01.सादाब पुत्र मुकीम निवासी ग्राम मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 02.अब्दुल रहीम पुत्र गालिब निवासी मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर द्वारा वादिया के घर मे घुसकर वादिया की नाबालिग पुत्री के साथ छेडछाड करना तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 158/2026 धारा 74,75,78,333 बीएनएस व 7/8 पोक्सो अधिनियम व 3(2)5क,3(1)द,3(1)ध एससी एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिया गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण 1.सादाब पुत्र मुकीम निवासी ग्राम मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर 2.अब्दुल रहीम पुत्र गालिब निवासी मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर को मौ0 पूर्वी अफगानान कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

1. सादाब पुत्र मुकीम निवासी ग्राम मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।
2. अब्दुल रहीम पुत्र गालिब निवासी मानकपुर सादात थाना चिलकाना जिला सहारनपुर ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम:-**

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री महेश सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
3. हे0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।
4. का0 2225 रंगेश कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर ।



दिनांक- 15.05.2026

-प्रेस नोट-

**वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश**

**थाना बेहट साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा साइबर ठगी के शिकार हुए पीड़ित के 50,000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में करायी गयी वापस**

अवगत कराना है कि दिनांक 03.02.2026 को शिकायतकर्ता श्री शाबान पुत्र श्री आबिद निवासी ग्राम जसमौर पठानपुरा थाना बेहट सहारनपुर ने थाना बेहट पर एक प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात व्यक्ति द्वारा धोखाधडी करके 50,000/- रुपये वादिया के State Bank of India खाते निकाल लिये जाने पर वादिया के द्वारा ऑनलाईन कम्पलेन NCRP portal पर Acknowledgement no. 33102260026020 शिकायत दर्ज कराई गयी थी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में साइबर अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह दीखित के कुशल नेतृत्व में थाना बेहट पर गठित साइबर हेल्प डेस्क टीम द्वारा उक्त प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित नौडल अधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुये शिकायकर्ता श्री शाबान उपरोक्त की धोखाधडी की गयी 50,000/- रुपये की शत-प्रतिशत धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी। शिकायतकर्ता द्वारा धोखाधडी में गई धनराशि वापस कराने पर थाना बेहट सहारनपुर पुलिस का आभार प्रकट किया है।

#### **वापस करायी गयी धनराशि का विवरण-**

➤ 50000/- रुपये

#### **धनराशि को वापस कराने वाली टीम-**

1. प्र०नि० श्री जितेन्द्र सिंह दीखित थाना बेहट, सहारनपुर ।
2. निरी० संजीव शर्मा थाना बेहट, सहारनपुर ।
3. का०ऑ० अमित भास्कर थाना बेहट, सहारनपुर ।
4. का० 2322 अजय कुमार यादव थाना बेहट, सहारनपुर ।